# गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

## CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)


**फा. सं. 9-34/2024-Admn. / 133** **27/01/2025**

**कार्यालयी आदेश संख्या- 28/2024-25**

**विषय: गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में खेलकूद प्रभारी आचार्य की नियुक्ति। Appointment of Prof. In-Charge Sports, Central University of Gujarat.**

संदर्भ: 1. छात्र कल्याण अधिष्ठाता का ई-मेल दिनांकित 20/01/2025। DSW email dated 20/01/2025.

2. माननीय कुलपति द्वारा दिनांक 24/01/2025 को अनुमोदित। Approval of Hon'ble Vice Chancellor dated 24/01/2025.

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रो. विपुल कुमार को अगले आदेश तक गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के खेलकूद प्रभारी आचार्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे अपने सामान्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त इस कार्य का भी निर्वहन करेंगे।

I am directed to convey that Prof. Bipul Kumar is appointed as the Professor In-Charge Sports of Central University of Gujarat till further orders. He will perform this duty in addition to his normal academic and administrative duties.

खेल प्रभारी का कार्य संरचित खेल सहायता प्रदान करना, आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखना और छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW) की देखरेख में खेल उपकरणों का उचित वितरण और प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। खेल प्रभारी के कार्य और उत्तरदायित्व **अनुलग्नक-1** में संलग्न हैं।

The role of Sports In-Charge will be to provide structured sports support, maintain essential records, and ensure the proper distribution and management of sports equipment under the supervision of the Dean of Students' Welfare (DSW). The roles and responsibilities of the Sports In-Charge are attached at **Annexure-1**.

ह. भा. पटेल
27/01/25

**कुलसचिव (कार्यवाहक)**

**संलग्न: अनुलग्नक-1**

**सेवा में,**
**प्रो. विपुल कुमार**
**आचार्य, हिंदी अध्ययन विभाग**
**भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अध्ययन संकाय**
**गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गाँधीनगर**

# गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

## CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)


**प्रति (ई-मेल द्वारा):**

1. सभी अधिष्ठाता - All Deans
2. सभी अध्यक्ष/समन्वयक/विभागाध्यक्ष - All Chairpersons / Coordinators / HoDs
3. वित्त अधिकारी (कार्यवाहक) - Finance Officer (Offg.)
4. परीक्षा नियंता - Controller of Examinations
5. प्रोवोस्ट, प्रोक्टर और छात्र कल्याण अधिष्ठाता - Provost, Proctor and DSW
6. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कमर्चारी - All Teaching & Non-Teaching Staff
7. अध्यक्ष, आईसीटी– **विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इसे अद्यतित करने के अनुरोध के साथ।** - ICT Chairperson – **with a request to upload it on the University Website.**
8. मववव संसाधन प्रकोष्ठ- वैयक्तिक फाइल हेतु। - HR Cell – For personal file
9. कुलपति सचिवालय - VC Secretariate
10. कार्यालय आदेश फाइल - Office Order file


सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076

Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in

**अनुलग्नक-1**

**खेल प्रभारी के कार्य और उत्तरदायित्व: - Roles and responsibilities of the Sports In-Charge:**

1. **बहीखातों का रखरखाव:** खेल प्रभारी खेल उपकरणों का अद्यतन बहीखाता बनाए रखेंगे, जिसमें खेल उपकरणों की खरीद, उन्हें जारी करने और उनकी वापसी के रिकॉर्ड दर्ज होंगे।

   **Maintenance of Ledgers:** The Sports In-Charge will maintain an up-to-date ledger of sports equipment, documenting procurement, issuance, and return records.

2. **स्टॉक पंजिका:** वह खेल उपकरणों की स्थिति और उपलब्धता की सही जानकारी रखने के लिए स्टॉक पंजिका (रजिस्टर) रखने हेतु उत्तरदायी होंगे।

   **Stock Registers:** He will be responsible for keeping accurate stock registers to track the availability and condition of sports equipment.

3. **नियमों और विनियमों का अनुपालन:** खेल प्रभारी छात्रों को खेल उपकरण जारी करने संबंधी नियम और विनियम बनायेंगे और उन्हें लागू करेंगे ताकि खेल उपकरणों का निष्पक्ष उपयोग और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

   **Rules and Regulations Compliance:** The Sports In-Charge will establish and enforce the rules and regulations for issuing sports equipment to students to ensure fair usage and accountability.

4. **उपकरणों को जारी करना और उनकी वापसी:** खेल प्रभारी खेल उपकरणों को उचित तरीके से जारी करने और उनकी वापसी की देखरेख करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्र उधार लेने की नीतियों का पालन करें।

   **Issuance and Collection of Equipment:** The Sports In-Charge will oversee the proper issuance and return of sports equipment, ensuring that students adhere to the borrowing policies.

5. **खेल सुविधाओं का प्रबंधन:** खेल प्रभारी खेल सुविधाओं की उपयोगिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके रख-रखाव और प्रबंधन में सहायता करेंगे।

   **Supervision of Sports Facilities:** The Sports In-Charge will assist in the upkeep and management of sports facilities to ensure their usability and safety.

6. **कार्यक्रम समन्वय:** खेल प्रभारी को छात्र कल्याण अधिष्ठाता और अन्य संकाय सदस्यों के समन्वय से विश्वविद्यालय स्तर के खेल कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहायता करने हेत नियुक्त किया जा सकता है।

   **Event Coordination:** The Sports In-Charge may be assigned to assist in organizing university-level sports events and competitions in coordination with the DSW and other faculty members.

7. **अन्य कार्यभार:** खेल प्रभारी विश्वविद्यालय की खेल संस्कृति के समग्र विकास में सहायता करने के लिए छात्र कल्याण अधिष्ठाता द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त कर्तव्यों का पालन करेंगे।

   **Other Assignments:** The Sports In-Charge will perform any additional duties as assigned by the DSW to support the holistic development of the university's sports culture.


सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फैक्स-07923260076

Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in